





आरबीटी  
राज्य राजमार्ग संख्या 148  
(जिला कलेक्टर) टांक

- 1037 -

प्रार्थी के पास अपने मकान/भूखण्ड का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी  
दस्तावेजात (पट्टा) नहीं है। प्रार्थी का मकान/भूखण्ड पक्का है जिसका मूआवजा  
Valuation Report के आधार पर जारी किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व  
तयहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबदा रिपोर्ट मय निर्णय प्रति सक्षम

1 ग्राम नजीरपुरा में खसरा संख्या 104 पर सरकारी भूमि पर स्थित Single Story  
परिसरपति का Valuation Report of Immovable Property By HORIZON  
INFRADESINGS PVT. LTD. द्वारा 3,26,363/- निर्धारण करने के उपरान्त एन.एच.  
ए.आई. द्वारा अर्वाड 3,26,36310/-/- पारित किया गया है। उक्त Valuation  
Report पर सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड अतिरिक्त जिला  
टांक व तहसीलदार (म.अ.) उन्नीयारा म. अलीगढ जिला टांक के हस्ताक्षर है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अग्रणी संख्या-2 सी.पी.  
जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अर्वाड  
पत्रावली का स्थानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी म.अ. अर्वाड अतिरिक्त  
राजमार्ग संख्या 148 एन उपखण्ड अतिरिक्त उन्नीयारा द्वारा प्रार्थी के मकान/भूखण्ड  
भूमि ख0न0 104 में स्थित है, जिसमें जमीन म.म.आबादी वार्ड का ग्राम नजीरपुरा का  
अधिकारिणम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अर्नुसार मूआवजा का निर्धारण नियमानुसार किया  
गया है। प्रार्थी द्वारा अर्वाड मकान/भूखण्ड का मूआवजा बाजार मूल्य की दर से  
20,00,00,000 रुपये दावा है परन्तु उक्त द्वारा इतकी तावद से साक्ष्य-सर्वत प्रस्तुत  
नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (म.अ. अर्वाड) एवं उपखण्ड अतिरिक्त उन्नीयारा के  
पत्र कमक:-ए.स.डी.आर./म.अ.वा./148 एन/330 दिनांक 05.04.2022 से प्रार्थी के  
मकान/भूखण्ड की वीर्यवैधान शीट की सत्यप्रतिनिधि मिलवाइ गई है, जो निम्न प्रकार  
से है।

प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।  
द्वारा समूचा तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अर्वाड जारी किया है जो उचित है। अतः  
अतिक्रम था। प्रार्थी को निर्मित संरचनाओं का मूआवजा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी  
विभाग द्वारा समुद्र (वेट) किया गया। जमीन की जिस म.म.आबादी राजस्व रिपोर्ट में  
तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण  
में पी.डब्ल्यू.डी. की बी एस आर (बसिक डिज़ॉयल आफ स्टेट) के आधार पर स्वीकृत  
सर्व एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध  
आदेश दिया गया साथ ही संबंधित तहसीलदार को उक्त पटवारी एवं निरदावरी सहित  
आदेश का सर्व एवं मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का  
मूआवजा शीट के निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उक्त अर्वाड मूल्यांकन एवं निर्माण  
से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। अर्वाड शीट म.अ. में स्थित संरचनाओं/निर्माण की  
गया। धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप  
म.अ. अर्वाड अतिरिक्त द्वारा संबंधित विभागाधिकारियों के हक में अर्वाड पारित किया  
की गई उक्त विधि के प्रावधानों के अर्नुसार निस्सारण किंसे जाने के उपरान्त सक्षम  
आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, जिस-जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत  
3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थना का 3 सी के अन्तर्गत  
प्रावधानों के अर्नुसार अर्वाड पारित किया गया है। अर्वाड भूमि का अधिकारिणम की धारा



आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन  
आरबी 148 एन

(टी.डी.)  
आरबी 148 एन

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

प्राधिकारी भीम अवाल्लि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148 एन (उपखण्ड आधिकारी) जिनियारा को प्रेषित किया जावे।